NEXT IAS

भारत की राजव्यवस्था

(भाग-2)

सिविल सेवा परीक्षा 2027

MADE EASY PUBLICATIONS
द्वारा प्रकाशित

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.
कॉर्पोरेट कार्यालय: 44-A/4, कालू सराय
(हौज़ ख़ास मेट्रो स्टेशन के निकट), नई दिल्ली-110016
संपर्क सूत्र: 011-45124660, 8860378007
ई-मेल करें: infomep@madeeasy.in
विजिट करें: www.madeeasypublications.org

भारत की राजव्यवस्था (भाग-2)

© कॉपीराइट: Made Easy Publications Pvt. Ltd.

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, पुनर्मुद्रण, प्रस्तुतीकरण और किसी ऐसे यंत्र में संग्रहण नहीं किया जा सकता, जिससे इसकी पुनर्प्राप्ति की जा सकती हो अथवा इसका स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार) से उपर्युक्त उल्लिखित प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

प्रथम संस्करण: 2024
द्वितीय संस्करण: 2025
तृतीय संस्करण: 2026

भारत की राजव्यवस्था
(भाग–2)

इकाई – I: राजव्यवस्था की संघीय प्रणाली

इकाई – II: संवैधानिक निकाय

इकाई – III: अन्य निकाय और मुद्दे

विषयसूची

भारत की राजव्यवस्था (भाग-2)

इकाई – I: राजव्यवस्था की संघीय प्रणाली

अध्याय 1

भारतीय राजव्यवस्था की संघीय प्रणाली (Federal System of Indian Polity) 2

1.1 परिचय (Introduction) 2
1.2 संघवाद (Federalism) 2
1.3 भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएँ (Federal Features of Indian Constitution) 3
1.4 भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएँ (Unitary Features of Indian Constitution) 4
1.5 भारतीय संघवाद से संबंधित मुद्दे (Issues with Indian Federalism) 5
1.6 भारतीय संविधान की अर्ध-संघात्मक प्रकृति (Quasi Federal Nature of Indian Constitution) 6
1.7 संघीय प्रणाली: आलोचनात्मक विश्लेषण (Federal System: A Critical Analysis) 6

अध्याय 2

केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations) 9

2.1 प्रस्तावना (Introduction) 9
2.2 केंद्र-राज्य संबंधों का इतिहास (History of Centre-State Relations) 9
2.3 विधायी संबंध (Legislative Relations) 10
2.4 प्रशासनिक संबंध (Administrative Relations) 12
2.5 वित्तीय संबंध (Financial Relations) 16
2.6 केंद्र-राज्य संबंधों में प्रवृत्तियाँ (Trends in Centre-State Relations) 19
2.7 केंद्र-राज्य संबंधों के मुद्दे (Issues in Centre-State Relations) 19
2.8 केंद्र और राज्यों के बीच हालिया मुद्दे (Recent Issues between Centre and the States) 22

अध्याय 3

अंतर-राज्य संबंध (Inter-State Relations) 23

3.1 परिचय (Introduction) 23
3.2 लोक अधिनियम, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ (Public Acts, Records and Judicial Proceedings) 23
3.3 अंतर-राज्य जल विवाद (Inter-State Water Disputes) 23
3.4 अंतर-राज्य परिषदें (Inter-State Councils) 25
 3.4.1 अंतर-राज्य परिषदों की भूमिका और उत्तरदायित्व (Role and Responsibilities of Inter State Councils) 25
 3.4.2 परिषद् की स्थायी समिति (Standing Committee of Council) 26
3.5 क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) 26
3.6 पूर्वोत्तर परिषद् (Northeastern Council – NEC) 27
3.7 अंतर-राज्य व्यापार, वाणिज्य और समागम (Inter-State Trade, Commerce and Intercourse) 27

अध्याय 4

आपातकालीन उपबंध (Emergency Provisions) 29

4.1 आपात उपबंध (Emergency Provisions) 29
4.2 राष्ट्रीय आपात (National Emergency) 31
4.3 वित्तीय आपात (Financial Emergency) 34
4.4 राष्ट्रपति शासन (President's Rule) 35
 4.4.1 राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार (Ground for Imposition of President Rule) 35
4.5 अनुच्छेद 356 का अनुप्रयोग: अनुशंसाएँ (Application of Article 356: Recommendations) 39
4.6 अतिरिक्त जानकारी (Additional Information) 41

अध्याय 5

संविधान में विशेष उपबंध (Special Provisions in Constitution) 44

5.1 परिचय (Introduction) 44
 5.1.1 अनुच्छेद 371: महाराष्ट्र, गुजरात (Article 371: Maharashtra, Gujarat) 44
 5.1.2 अनुच्छेद 371(A): नागालैंड [Article 371(A): Nagaland] 44
 5.1.3 अनुच्छेद 371(B): असम [Article 371(B): Assam] 45
 5.1.4 अनुच्छेद 371(C): मणिपुर [Article 371(C): Manipur] 45
 5.1.5 अनुच्छेद 371-D: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (Article 371-D: Andhra Pradesh and Telangana) 45

5.1.6 अनुच्छेद 371(E): आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय [Article 371(E): Central University in Andhra Pradesh] 46
5.1.7 अनुच्छेद 371(F): सिक्किम [Article 371(F): Sikkim] 46
5.1.8 अनुच्छेद 371(G): मिज़ोरम [Article 371(G): Mizoram] 46
5.1.9 अनुच्छेद 371-(H): अरुणाचल प्रदेश [Article 371-(H): Arunachal Pradesh] ...46
5.1.10 अनुच्छेद 371(I): गोवा [Article 371(I): Goa] 46
5.1.11 अनुच्छेद 371-(J): हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र [Article 371(J): Hyderabad and Karnataka Region] 46

इकाई – II: संवैधानिक निकाय

अध्याय 6

निर्वाचन आयोग (Election Commission) 48
6.1 परिचय (Introduction) 48
6.2 दृष्टि, लक्ष्य और मार्गदर्शक सिद्धांत (Vision, Mission, and Guiding Principles) 48
6.3 संघटन (Composition) 49
6.4 अर्हता (Eligibility) 50
6.5 नियुक्ति (Appointment) 50
6.6 पदावधि (Term of Office) 50
6.7 पदच्युति (Removal) 50
6.8 निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता (Independence of Election Commission) 50
6.9 निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ और कार्य (Powers and Functions of Election Commission) 51
6.10 मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों से वरिष्ठ या समान (CEC, Superior or Equal with ECs) 51
6.11 चुनौतियाँ और अवसर (Challenges and Opportunities) 51
6.12 निर्वाचन आयोग के लिए वृहत्तर शक्तियाँ (Greater Powers for EC) 52
6.13 आगे की राह (Way Forward) 53

अध्याय 7

लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) 54
7.1 परिचय (Introduction) 54
7.2 संवैधानिक स्थिति (Constitutional Status) 54
7.3 संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission – UPSC) 55
7.4 राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission – SPSC) 59
7.5 संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (Joint State Public Service Commission – JSPSC) ...62
7.6 अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services) 63

अध्याय 8

वित्त आयोग (Finance Commission) 65
8.1 परिचय (Introduction) 65
8.2 संरचना/संघटन (Composition) 65
8.3 कार्य और उत्तरदायित्व (Roles and Responsibilities) 66
8.4 वर्ष 2021-26 के लिए 15वें वित्त आयोग की प्रतिवेदन (Report of the 15th Finance Commission for 2021-26) 66
8.4.1 विचारार्थ विषय (Terms of Reference) 66
8.4.2 15वें वित्त आयोग की प्रमुख अनुशंसाएँ (Major Recommendations of 15th Finance Commission) 66
8.5 वित्त आयोग – कुछ अवधारणाएँ और परिभाषाएँ (Finance Commission – Some Concepts and Definitions) 70
8.6 सीमाएँ (Limitations) 71

अध्याय 9

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commissions for SCs and STs) . 73
9.1 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Scheduled Castes) 73
9.1.1 परिचय (Introduction) 73
9.1.2 संघटन/संरचना (Composition) 73
9.1.3 अर्हता (Eligibility) 74
9.1.4 पद की शर्तें (Terms of Office) 74
9.1.5 त्याग-पत्र और निष्कासन (Resignation and Removal) 74
9.1.6 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य (Functions of NCSC) 74
9.1.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियाँ (Powers of NCSC) 75
9.1.8 प्रतिवेदन (Reports) 75
9.1.9 सलाहकारी भूमिका (Advisory Role) 75
9.1.10 प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची (List of Services Provided) 75
9.2 अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Scheduled Tribes) 75
9.2.1 परिचय (Introduction) 75
9.2.2 संघटन/संरचना (Composition) 76
9.2.3 अर्हता (Eligibility) 76
9.2.4 पद की शर्तें (Terms of Office) 76

9.2.5 त्याग-पत्र और निष्कासन (Resignation and Removal)..................76

9.2.6 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य (Functions of NCST)............................77

9.2.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अन्य कार्य (Other Functions of NCST)..................77

9.2.8 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियाँ (Powers of NCST)................................77

9.2.9 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सलाहकार की भूमिका (Advisory Role of NCST) 77

9.2.10 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report of NCST)..........78

9.3 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और विकास के लिए संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions for Protection and Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes).. 78

9.4 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष चुनौतियाँ: एक आलोचनात्मक विश्लेषण (Challenges to NCSC and NCST: A Critical Analysis).. 79

9.4.1 आगे की राह (Way Forward) 79

अध्याय 10

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(National Commission For Backward Classes - NCBC)...80

10.1 परिचय (Introduction)..80

10.1.1 संघटन/संरचना (Composition)..................80

10.1.2 अर्हता.. (Eligibility) 80

10.1.3 पद की शर्तें (Terms of Office) 80

10.1.4 त्याग-पत्र और निष्कासन (Resignation and Removal)..................80

10.2 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य (Functions of the NCBC) 81

10.3 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियाँ (Powers of the NCBC)...81

10.4 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report of the Commission)........................81

10.5 अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण से संबंधित वर्तमान मुद्दे (Recent Issue of OBC Sub-Categorisation) 82

10.5.1 उप-वर्गीकरण की आवश्यकता (The Need for Sub-Categories)............82

10.5.2 आयोग का निष्कर्ष (Findings of Commission) 83

10.5.3 केंद्रीय नौकरियों की भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व (Extent of OBC Recruitment in Central Jobs) 83

10.5.4 अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण की आलोचना (Criticism of OBC Sub-Categorisation) 83

10.5.5 जातिगत जनगणना पर सरकार का पक्ष (Government's Stance on Caste Census) 83

अध्याय 11

वस्तु एवं सेवा कर परिषद

(Goods and Services Tax Council) 85

11.1 परिचय (Introduction)...85

11.2 वस्तु एवं सेवा कर परिषद् का संघटन (Composition of the GST Council)..........................86

11.3 वस्तु एवं सेवा कर परिषद् की कार्यप्रणाली (Working of the GST Council) 86

11.4 वस्तु एवं सेवा कर परिषद् के कार्य (Functions of the GST Council) 86

11.5 वस्तु एवं सेवा कर के लाभ (Advantages of GST)....... 87

11.5.1 सरकार को प्राप्त होने वाले लाभ (For the Government)...........................87

11.5.2 व्यापार और उद्योग को प्राप्त होने वाले लाभ (For the Trade and Industry) 87

11.5.3 राज्यों को प्राप्त होने वाले लाभ (For the States) 87

11.6 वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन और कार्यप्रणाली से संबंधित चुनौतियाँ (Issues in GST Implementation and Functioning) 87

अध्याय 12

वित्तीय एवं विधिक् प्राधिकरण

(Financial And Legal Authorities) 88

12.1 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General) 88

12.1.1 नियुक्ति एवं पदावधि (Appointment and Term of Office) 89

12.1.2 स्वायत्तता (Independence) 89

12.1.3 CAG की भूमिका (Role of CAG) 90

12.1.4 CAG अंकेक्षण के प्रकार (Types of CAG Auditing).....................90

12.1.5 CAG और निगम (CAG and Corporations) 91

12.1.6 CAG की कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दे (Issues in Functioning of CAG) 91

12.1.7 CAG की आलोचना (Criticism of CAG)....94

12.1.8 सामाजिक अंकेक्षण एवं CAG अंकेक्षण (Social Audit and CAG Audit) 94

12.1.9 CAG का महत्त्व (Significance of CAG)...94

12.2 भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India) 95

12.2.1 नियुक्ति एवं पदावधि (Appointment and Terms) 95

12.2.2 कर्त्तव्य एवं कार्य (Duties and Functions)........................96

12.2.3 अधिकार एवं सीमाएँ (Rights and Limitations)..96

12.3 भारत का महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता (Solicitor General and Additional Solicitors General of India) 97

12.4 राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General of the States)...........................98

12.4.1 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति एवं कार्यकाल (Appointment and Term of Advocate General)..99

12.4.2 पारिश्रमिक (Remuneration).....................99

12.4.3 कर्त्तव्य एवं कार्य (Duties and Functions)..99

12.4.4 महाधिवक्ता के अधिकार व सीमाएँ (Rights and Limitations of Advocate General)..100

12.5 महालेखा नियंत्रक (Controller General of Accounts -CGA) 100

12.5.1 कर्त्तव्य एवं कार्य (Duties and Functions).......................100

12.5.2 अधिदेश (Mandate)..............................100

इकाई – III: अन्य निकाय और मुद्दे

अध्याय 13

संविधानेत्तर निकाय (Non-Constitutional Bodies) 103

13.1 योजना आयोग (Planning Commission)................... 103

13.1.1 आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका (Role Played by Commission)............103

13.1.2 योजना आयोग से जुड़े मुद्दे (Issues with Planning Commission)....104

13.1.3 योजना आयोग को समाप्त करने के कारण (Reasons for Scrapping Planning Commission).....................................104

13.2 नीति आयोग (NITI Aayog).................................... 104

नीति आयोग के कार्य (Functions of NITI Aayog) ...105

13.3 राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council) 107

13.3.1 NDC के कार्य (Functions of NDC).......107

13.3.2 NDC की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis of Working of NDC)...............................107

13.4 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission).................. 108

13.4.1 NHRC के कार्य (Functions of NHRC) ..109

13.4.2 NHRC की शक्तियाँ (Powers of NHRC)..109

13.5 राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission)...................... 110

13.5.1 SHRC के कार्य (Functions of SHRC)....111

13.5.2 SHRC की शक्तियाँ (Powers of SHRC)..111

13.5.3 प्रमुख चिंताएँ (Major Concerns)............111

13.6 केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)....................... 112

13.6.1 कार्यकाल एवं सेवा-शर्तें (Tenure and Service Conditions) 112

13.6.2 CIC के लिए स्वायत्तता संबंधी प्रावधान (Autonomy Provisions for CIC)...........113

13.6.3 अपील का प्रावधान (Provision of Appeal).........................113

13.6.4 शक्तियाँ एवं कार्य (Powers and Functions) 113

13.6.5 CIC की वर्तमान स्थिति (Present Status of CIC) 114

13.6.6 आगे की राह (Way Forward) 115

13.6.7 अतिरिक्त सुझाव (Further Suggestions) 115

13.7 राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) 116

13.7.1 संघटन (Composition)..........................116

13.7.2 नियुक्ति (Appointment) 116

13.7.3 पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) 117

13.7.4 कार्यकाल एवं सेवा-शर्तें (Tenure and Service Conditions) 117

13.7.5 राज्य सूचना आयोग हेतु स्वायत्तता संबंधी प्रावधान (Autonomy Provisions for State Information Commission) 117

13.7.6 शक्तियाँ एवं कार्य (Powers and Functions) 118

अध्याय 14

भ्रष्टाचार-रोधी निकाय (Anti-Corruption Bodies)...120

14.1 केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission).......................... 120

14.1.1 संघटन (Composition)..........................120

14.1.2 सदस्यों की नियुक्ति (Appointment of Members) 120

14.1.3 अर्हता (Qualification)...........................120

14.1.4 पदावधि (Term of Office) 120

14.1.5 सदस्यों की पदच्युति (Removal of Members)..121

14.1.6 वेतन एवं भत्ते (Salary and Allowance)...121

14.1.7 शक्तियाँ और कार्य (Powers and Functions) 121

14.1.8 आयोग की सलाहकारी भूमिका (Commission's Advisory Role) 122
14.1.9 CVC का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of CVC) 122
14.1.10 CVC की अब तक की भूमिका (CVC's Role so Far) 122
14.1.11 CVC का आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis of CVC) 122
14.1.12 आगे की राह (Way Forward) 123
14.2 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation - CBI) 124
14.2.1 उद्विकास और स्थापना (Evolution and Establishment) 124
14.2.2 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की वैधानिक स्थिति (Legal Position of CBI) 124
14.2.3 संगठन एवं संरचना (Organisation and Composition) 125
14.2.4 नियुक्ति (Appointment) 125
14.2.5 CBI की भूमिकाएँ और कार्य (Roles and Functions of CBI) 125
14.2.6 दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (Delhi Special Police Establishment) . 126
14.2.7 CBI द्वारा अन्वेषण में न्यायपालिका की भूमिका (Role of Judiciary in CBI Investigation) 126
14.2.8 एक स्वतंत्र कानून की आवश्यकता (Need for an Independent Law) 127
14.2.9 आगे की राह (Way Forward) 127
14.3 लोकपाल एवं लोकायुक्त (Lokpal and Lokayuktas) 128
14.3.1 लोकपाल (Lokpal) 128
14.3.2 लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (Lokpal and Lokayuktas Act, 2013) ... 129
14.3.3 लोकायुक्त (Lokayuktas) 132
14.4 प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) 134
14.5 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency-NIA) 134

अध्याय 15

सामाजिक रूप से सुभेद्य समूहों के लिए आयोग (Commissions for Socially Vulnerable Groups) 136
15.1 राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) 136
15.1.1 स्थापना (Establishment) 136
15.1.2 संघटन (Composition) 136
15.1.3 पदावधि (Term of Office) 136
15.1.4 शक्तियाँ और कार्य (Powers and Functions) 137
15.2 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights-NCPCR) 138
15.2.1 NCPCR की स्थापना (Establishment of NCPCR) 138
15.2.2 संघटन (Composition) 138
15.2.3 शक्तियाँ और कार्य (Powers and Functions) 138
15.2.4 कार्यप्रणाली (Working) 139
15.2.5 अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) 140
15.2.6 आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis) 141
15.2.7 आयोग के लिए सुझाव (Suggestions for Commission) 141
15.3 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities-NCM) 141
15.3.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना (Establishment of NCM) 141
15.3.2 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का संघटन (Composition of NCM) 141
15.3.3 पदावधि (Terms of Office) 141
15.3.4 शक्तियाँ और कार्य (Powers and Functions) 142
15.3.5 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की अधिकारिता (Jurisdiction of NCM) 142
15.3.6 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की अतिरिक्त शक्तियाँ या कर्त्तव्य (Additional Powers or Duties of NCM) 142
15.3.7 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Reports of NCM) 143
15.3.8 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis of the Working of NCM) 143
15.4 दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner for Person with Disabilities) .. 143
15.4.1 नियुक्ति और सेवा की शर्तें (Appointment and Terms of Office) 144
15.4.2 आयुक्तों की शक्तियाँ, कार्य और कार्यप्रणाली (Power, Functions and Working of Commissioners) 144
15.4.3 वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) 144
15.4.4 वार्षिक प्रतिवेदन आयुक्त द्वारा तैयार की जाएगी (Annual reports to be prepared by the Commissioner) 145

15.4.5 मुख्य आयुक्त के पद का आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis of the Office of Chief Commissioner) 145
15.4.6 संस्था के लिए अनुशंसाएँ (Recommendations for the Institution) 145

अध्याय 16

अन्य निकाय (Other Bodies) 146
16.1 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) 146
16.1.1 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (National Green Tribunal Act, 2010) .. 146
16.1.2 समसामयिक मुद्दे/बहस (Current Issues / Debates) 147
16.1.3 NGT अधिनियम, 2010 का आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis of NGT Act, 2010) 148
16.2 उपभोक्ता विवाद समाधान (Consumer Dispute Redressal) 149
16.2.1 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) 149
16.2.2 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission – NCDRC) 150
16.2.3 NCDRC और उपभोक्ता अधिनियम में समग्र परिवर्तन (Overhaul of NCDRC and Consumer Act) 150
16.3 भारत का विधि आयोग (Law Commission of India) 151
16.3.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 151
16.3.2 विधि आयोग की स्थापना (Establishment of Law Commission) .. 151
16.3.3 विधि आयोग का संघटन (Composition of Law Commission) 151
16.3.4 विधि आयोग का महत्त्व (Importance of Law Commission) 151
16.3.5 प्रमुख अनुशंसाएँ (Major Recommendations) 152
16.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority – NDMA) 155
16.4.1 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (State Disaster Management Authority) 156
16.4.2 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (District Disaster Management Authority) 156
16.4.3 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (National Disaster Response Force – NDRF) 156
16.4.4 निष्कर्ष (Conclusion) 157

अध्याय 17

भाषा (Language) 158
17.1 परिचय (Introduction) 158
17.1.1 एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता (Need for a National Language) 158
17.1.2 राजभाषा की आवश्यकता (Need for an Official Language) 158
17.2 संघ की राजभाषा (Official Language of Union) 159
17.2.1 भाषा आयोग (Language Commission) .. 159
17.2.2 राज्यों की राजभाषा (Official Language of States) 160
17.3 अंतर-राज्यीय संचार हेतु राजभाषा (Official Language for Inter State Communication) 160
17.3.1 विशेष प्रावधान (Special Provision) 160
17.4 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और विधायन हेतु भाषा (Language in Supreme Court, High Court, and Legislation) 160
17.5 राजभाषा अधिनियम, 1963 (Official Language Act, 1963) 161
17.5.1 विशेष निर्देश (Special Directives) 161
17.5.2 हिंदी भाषा का विकास (Development of Hindi Language) 161
17.6 आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) 162
17.6.1 भारत की शास्त्रीय भाषाएँ (Classical Languages in India) 162
17.6.2 निष्कर्ष (Conclusion) 162

अध्याय 18

राजनीतिक दल (Political Parties) 164
18.1 राजनीतिक दल (Political Parties) 164
18.2 राजनीतिक दल की विशेषताएँ (Features of Political Party) 164
18.3 राजनीतिक दल के कार्य (Functions of Political Party) 164
18.4 भारत में दलीय व्यवस्था (Party System in India) 165
18.5 भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएँ (Features of Indian Party System) 165
18.6 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल (National and State Parties) 166

अध्याय 19

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of People Act) 168
19.1 परिचय (Introduction) 168
19.2 संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provisions) 168

19.3 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of People Act, 1950)................... 168

19.3.1 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of RoPA, 1950)... 168

19.4 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of People Act, 1951 RoPA).......... 170

19.4.1 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of RoPA, 1951)... 170

19.5 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में महत्त्वपूर्ण संशोधन (Important Amendment to Representation of the People Act).. 172

अध्याय 20

निर्वाचन एवं निर्वाचन सुधार (Election and Electoral Reforms)................................... 174

20.1 परिचय (Introduction).. 174

20.2 भारत में निर्वाचन प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of Election System in India)........ 174

20.3 चुनाव तंत्र (Electoral Mechanism).......................... 175

20.4 निर्वाचन तंत्र (Election Machinery).......................... 177

20.5 भारतीय निर्वाचन प्रणाली से संबंधित मुद्दे (Issues with Indian Election System) 178

20.6 निर्वाचन सुधार समितियाँ (Electoral Reform Committees) 180

20.7 राजनीतिक दलों का वित्तपोषण (Financing of Political Parties).............................. 181

20.8 निर्वाचन सुधारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court On Electoral Reforms) 183

20.9 भारत के विधि आयोग की अनुशंसाएँ (The Law Commission of India Recommendations) 184

20.9.1 निर्वाचन अयोग्यताएँ (244वीं रिपोर्ट) (Electoral Disqualifications- 244th Report).. 184

20.9.2 निर्वाचन वित्त- 255वीं रिपोर्ट (Election Finance- 255th Report) 184

20.9.3 राजनीतिक दलों एवं आंतरिक दलीय लोकतंत्र का विनियमन (Regulation of Political Parties and Inner Party Democracy) .. 185

20.9.4 निर्वाचन प्रणाली के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation as an Electoral System) 185

20.9.5 भारत के निर्वाचन आयोग के पद को सुदृढ़ बनाना (Strengthening the Office of the Election Commission of India)...... 185

20.9.6 पेड न्यूज़ और राजनीतिक विज्ञापन (Paid News and Political Advertisements)................................ 185

20.9.7 मत सर्वेक्षण/ओपीनियन पोल्स (Opinion Polls) 185

20.9.8 अनिवार्य मतदान (Compulsory Voting) 186

20.9.9 निर्वाचन याचिकाएँ (Election Petitions) 186

20.9.10 नोटा (NOTA)....................................... 186

20.9.11 वापस बुलाने का अधिकार/राइट टू रिकॉल (Right to Recall) 186

20.9.12 मतगणना (Counting of Votes)................ 186

20.9.13 सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों पर प्रतिबंध (Restriction on Government Sponsored Advertisements)............... 186

20.9.14 निर्दलीय उम्मीदवार (Independent Candidates)................. 186

20.9.15 सामान्य मतदाता सूची तैयार करना एवं उपयोग (Preparation and use of Common Electoral Rolls) 186

20.10 उपर्युक्त में से कोई नहीं (नोटा) विकल्प (None of the Above-NOTA Option)....................... 187

20.10.1 नोटा से संबंधित चिंताएँ (Concerns Over NOTA)..................... 187

20.10.2 'कोई निर्वाचन मूल्य नहीं' का मुद्दा (Issue of 'No Electoral Value') 187

20.10.3 राज्य सभा में नोटा को समाप्त किया गया (Scrapping of NOTA in Rajya Sabha) 187

20.11 आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct - MCC) 187

20.12 एकसाथ निर्वाचन (Simultaneous Elections).................................... 189

20.13 राजनीतिक दल एवं सूचना का अधिकार (Political Parties and RTI) 190

20.14 दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law).. 191

20.14.1 दल-बदल विरोधी कानून के प्राथमिक उद्देश्य (The Primary Intentions of the Anti-Defection Law)........................... 193

20.14.2 2003 का 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (The 91st Constitution Amendment Act of 2003) 193

20.14.3 दल-बदल कानून से जुड़े प्रमुख विवाद (Key Controversies Surrounding Defection Laws) 193

20.15 पेड न्यूज़ (Paid News).. 195

20.16 द्वेषपूर्ण भाषण (Hate Speech) 196

20.17 फ़ेक न्यूज़ और निर्वाचन (Fake News and Elections)................................. 198

20.17.1 अंतर्निहित त्रुटिपूर्ण सूचना की भूमिका (Role of Embedded Misinformation)... 198

20.17.2 भारत की निर्वाचन प्रक्रिया में सोशल मीडिया की भूमिका में प्रमुख घटक/प्रतिभागी (Key Players in Social Media's Role in India's Electoral Process) 198
20.17.3 आगे की राह (Way Forward) 199

अध्याय 21

संविधान की अनुसूचियाँ
(Schedules of the Constitution) 200
21.1 परिचय (Introduction) 200
21.2 विशिष्ट अनुसूचियों का विश्लेषण (Analysis of Specific Schedules)... 201
21.2.1 पाँचवीं अनुसूची से संबंधित क्षेत्रों का प्रशासन (Administration of Schedule V Areas) 201
21.2.2 छठी अनुसूची से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन (Administration of Schedule VI Tribal Areas) 202
21.2.3 छठी अनुसूची से संबंधित परिषदों की शक्तियाँ (Powers of Sixth Schedule Councils) .203
21.2.4 पाँचवीं और छठी अनुसूची: एक आलोचनात्मक विश्लेषण (Fifth and Sixth Schedule: A Critical Analysis)............................ 204
21.2.5 नौवीं अनुसूची (Schedule IX)................. 204
21.2.6 10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) [Schedule X (Anti-Defection Law)] ... 205
21.2.7 निष्कर्ष (Conclusion) 207

अध्याय 22

राजनीतिक सिद्धांत- एक परिचय
(Introduction to Political Theory).................................... 208
22.1 राजनीति का क्या अर्थ है? (What is the Meaning of Politics?) 208

अध्याय 23

स्वतंत्रता (Freedom) 210
23.1 स्वतंत्रता का आदर्श (The ideal of freedom).. 210
23.2 स्वतंत्रता (Freedom) 210
23.3 प्रतिबंध क्यों महत्त्वपूर्ण हैं? (Why Constraints are Important?)......................... 211
23.4 प्रतिबंधों के स्रोत (Sources of Constraints)..................................... 211
23.5 नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता (Negative and Positive Liberty)........................... 211
23.5.1 नकारात्मक स्वतंत्रता (Negative Liberty)....211
23.5.2 सकारात्मक स्वतंत्रता (Positive liberty) 212

अध्याय 24

समानता (Equality)..213
24.1 समानता का अर्थ और संकल्पना (Equality Meaning and Concept) 213
24.2 समान स्तरीकरण की प्रक्रिया के रूप में समानता (Equality as a Levelling Process) 213
24.3 समानता के प्रकार (Kinds of Equality)...................... 213
24.3.1 सामाजिक समानता (Social Equality)........213
24.3.2 नागरिक समानता (Civil Equality) 214
24.3.3 राजनीतिक समानता (Political Equality).....214
24.3.4 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage)..................214
24.3.5 अवसर एवं शिक्षा की समानता (Equality of Opportunity and Education)...214
24.4 समानता को बढ़ावा देने के तरीके (Ways to promote Equality) 215
24.4.1 सकारात्मक कार्यवाही (Affirmative action)............................215
24.4.2 औपचारिक समानता की स्थापना (Establishing formal Equality) 215
24.4.3 विभेदक व्यवहार के माध्यम से समानता (Equality through differential treatment)...215
24.5 कुछ महत्त्वपूर्ण दर्शन (Some important Philosophies) 215
24.5.1 नारीवाद (Feminism).............................215
24.5.2 मार्क्सवाद (Marxism).............................216
24.5.3 समाजवाद (Socialism) 216
24.5.4 उदारवाद (Liberalism)...........................216

अध्याय 25

राष्ट्रवाद (Nationalism) 218
25.1 राष्ट्रवाद, अर्थ (Nationalism, Meaning) 218
25.2 राष्ट्रवाद के प्रभाव (Effects of Nationalism) 219
25.3 पृथकतावाद/अलगाववाद (Separatism)...................... 219
25.4 राष्ट्रीय आत्म-निर्णय (National Self Determination).... 220

25.5 राष्ट्रवाद के गुण और दोष
(Merits and Demerits of Nationalism).................... 220
25.5.1 गुण (Merits)..220
25.5.2 दोष (Demerits)...................................221
25.6 राज्य और राष्ट्र में अंतर
(Difference between State and Nation)................. 221

अध्याय 26

धर्मनिरपेक्षता (Secularism)..222
26.1 धर्मनिरपेक्षता और इसके प्रमुख पहलू
(Secularism and its key aspects) 222
26.1.1 धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख पहलू
(Key aspects of secularism include)..222
26.2 अंतर-धार्मिक वर्चस्व
(Inter Religious Dominations)............................... 222
26.3 अंत:धार्मिक वर्चस्व
(Intra Religious Dominations)............................... 223
26.4 धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State)............................. 223
26.5 धर्मतांत्रिक राज्य (Theocratic State) 223
26.6 धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांत
(Principles of Secular State) 223
26.7 धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल
(Western Model of Secularism)............................ 224
26.8 धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल
(Indian Model of Secularism)............................... 224
26.9 धर्मनिरपेक्षता के भारतीय स्वरूप की आलोचना
(Criticism of Indian form of Secularism)................ 225
26.10 अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता (Ataturk's Secularism)....... 225

अध्याय 27

न्याय (Justice)...226
27.1 न्याय क्या है? (What is Justice?)............................ 226
27.2 न्याय के सिद्धांत
(Principles of Justice) 226
27.3 न्यायपूर्ण वितरण क्या है
(What is Just Distribution).................................... 227
27.4 जॉन रॉल्स: न्याय का सिद्धांत (अज्ञानता का आवरण)
[John Rawls: Theory of Justice (Veil of Ignorance)] 227
27.5 सामाजिक न्याय का अनुसरण (Pursuing Social
Justice) 227
27.6 मुक्त बाज़ार और राज्य के हस्तक्षेप के बीच संतुलन
(The Balance between Free Markets and State
Intervention).. 228
27.7 मुक्त बाज़ार बनाए रखने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की
आवश्यकता क्यों है? (Why is State intervention
required to maintain Free Markets?)..................... 228

परिशिष्ट

i. **संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ**
(Union, States and Concurrent Lists)..................229
ii. **वरीयता अनुक्रम/तालिका**
(Order of Precedence/Table).............................234
iii. **संवैधानिक संशोधन**
(Constitutional Amendments) 237

इकाई I

राजव्यवस्था की संघीय प्रणाली

1. भारतीय राजव्यवस्था की संघीय प्रणाली (Federal System of Indian Polity) 2
2. केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations) 9
3. अंतर-राज्य संबंध (Inter-State Relations) 23
4. आपातकालीन उपबंध (Emergency Provisions) 29
5. संविधान में विशेष उपबंध (Special Provisions in Constitution) 44

अध्याय 1

भारतीय राजव्यवस्था की संघीय प्रणाली

(Federal System of Indian Polity)

1.1 परिचय (Introduction)

विश्व भर में सरकार की प्रणालियों को एकात्मक और संघीय में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार, उस राष्ट्र विशेष में राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच संबंधों की प्रकृति है। शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन (Vertical division of power) केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच 'शक्ति का बँटवारा' है, अर्थात् ऐसी स्थिति, जिसमें सरकारों के बीच विभिन्न स्तरों पर अर्थात् केंद्र और राज्य स्तर पर शक्ति साझा की जाती है।

शक्ति का क्षैतिज विभाजन (Horizontal division of power) सरकार के अंगों के बीच शक्ति का बँटवारा है। इसका उदाहरण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बँटवारा है।

1.2 संघवाद (Federalism)

शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन को संघवाद कहा जाता है। यह सरकार का वह रूप है, जिसमें सत्ता, केंद्र में एक सरकार और राज्यों या प्रांतों जैसी अन्य लघु सरकारी इकाइयों के बीच विभाजित होती है।

फ़ेडरेशन (Federation), अर्थात् संघवाद, लैटिन भाषा के शब्द फ़ोएडस (Foedus) से बना है, जिसका अर्थ समझौता या संधि होता है। संघात्मक व्यवस्था में, किसी राष्ट्र विशेष की इकाइयों को विभिन्न देशों में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए, स्विट्ज़रलैंड में इसे केंटन (Cantons), कनाडा में इसे प्रांत (Provinces) और भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें राज्य (States) कहा जाता है।

राष्ट्रीय एकता, आर्थिक हित, सामान्य मुद्दों का मैत्रीपूर्ण समाधान, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा इत्यादि ऐसे कारक हैं, जो संघ के गठन को प्रोत्साहित करते हैं। संघ के गठन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रखना एवं बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना है।

दो आधार, जिनसे संघ का गठन किया जा सकता है (Two Routes in which the Federation can be Formed)

राज्यों के एकसाथ आने से बना संघ (Coming together federation), अर्थात् 'राज्यों की पहल पर बना संघ' और 'राज्यों को एकसाथ लाने से बना संघ' (Holding together federation), अर्थात् 'केंद्र की पहल पर बना संघ' दो आधार हैं, जिनके अंतर्गत एक संघ का गठन किया जा सकता है।

'राज्यों के एकसाथ आने से बने संघ' में राज्य अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक बड़ा राज्य बनाने के लिए एकसाथ आते हैं। इसके उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। इस व्यवस्था में राज्यों के पास समान शक्ति होती है और वे केंद्र सरकार से अधिक शक्तिशाली होते हैं।

'राज्यों को एकसाथ लाने से बने संघ' में एक बड़ा देश, केंद्र एवं राज्यों के बीच अपनी शक्ति को विभाजित करता है। इससे स्थानीय हितों के समायोजन (Accomodation of local interests) और बेहतर प्रशासन में सहायता मिलती है। इसके उदाहरण भारत, स्पेन और बेल्जियम हैं। इस प्रणाली में सभी राज्यों को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती, अपितु राज्यों को कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

भारतीय संघवाद की प्रकृति (Nature of Indian Federalism)

भारत का संविधान देश में 'शासन की संघीय व्यवस्था' का प्रावधान करता है। यद्यपि, 'संघ (Federation)' शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार- "भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का एक संघ (Union) होगा।" डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, दो बातों को इंगित करने के लिए 'राज्यों का संघ (Union of States)' वाक्यांश को 'फ़ेडरेशन ऑफ़ स्टेट्स (Federation of States)' पर प्राथमिकता दी गई है:

1. भारतीय संघ, अमेरिकी संघ की भाँति राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है,
2. राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

भारतीय संघ (Indian Federation)

भारतीय संघ 'नश्वर राज्यों का एक अनश्वर संघ' (Indestructible union of destructible states) है। भारतीय संघीय व्यवस्था 'अमेरिकी मॉडल' पर आधारित न होकर 'कनाडाई मॉडल' पर आधारित है। कनाडाई मॉडल मूलरूप से अमेरिकी मॉडल से भिन्न

है, क्योंकि यह एक अत्यंत शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करता है। अमेरिकी संघ संसार का सर्वाधिक प्राचीन संघ है, जो कि सन् 1787 में स्थापित किया गया था।

भारतीय संघ निम्नलिखित बातों में कनाडाई संघ के समान है– (i) इसके गठन में [अर्थात्, विघटित (Disintegration) होने के तरीक़ों में], (ii) 'संघ' शब्द के प्रमुखता से प्रयोग में [कनाडाई फ़ेडरेशन को 'संघ (Union)' भी कहा जाता है] और (iii) इसकी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति में (अर्थात् राज्यों की तुलना में केंद्र में अधिक शक्तियाँ निहित होना)।

1.3 भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएँ (Federal Features of Indian Constitution)

भारत के संविधान की संघीय विशेषताओं की व्याख्या निम्नलिखित है:

1. **दोहरी सरकार** (Dual Government): संविधान, भारत के बृहत् आकार एवं विविधता के कारण केंद्र में संघ (Union) और परिधि पर राज्यों से मिलकर एक दोहरी राजव्यवस्था (Dual Polity) का प्रावधान करता है। राज्य केवल संघीय सरकार के प्रतिनिधि या एजेंट नहीं हैं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारें एक ही स्रोत, अर्थात् भारतीय संविधान से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य, संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली शक्तियों से संपन्न हैं।
2. **शक्तियों का वितरण** (Distribution of Powers): भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। यह विभाजन सातवीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अनुसार किया गया है। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों ही विधि निर्माण कर सकते हैं। समवर्ती सूची के किसी विषय पर बनाई गई विधि पर विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी। अवशिष्ट (Residuary) विषय, अर्थात्, जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में से किसी में नहीं है, केंद्र को प्रदान किए गए हैं।
3. **संविधान की सर्वोच्चता** (Supremacy of the Constitution):
   - भारतीय राज्यों के अस्तित्व का आधार भारतीय संविधान है। उनकी प्रत्येक शक्ति (कार्यपालकीय, विधायी या न्यायिक) भले ही वह केंद्र की हो या राज्यों की, भारतीय संविधान के अधीनस्थ और इसके द्वारा नियंत्रित होती है।
   - केंद्र और राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा न होने की स्थिति में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से अमान्य या शून्य घोषित किया जा सकता है।
4. **लिखित एवं कठोर संविधान** (Written and Rigid Constitution): संविधान को एक लिखित दस्तावेज़ होना आवश्यक है अन्यथा भारतीय राजव्यवस्था की संघीय प्रकृति की रक्षा करना असंभव हो जाएगा। इसी तरह संविधान का कठोर होना, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्त है।
   - भारतीय संविधान इतना कठोर है कि ऐसे प्रावधान, जो संघीय ढाँचे (अर्थात् केंद्र-राज्य संबंध और न्यायिक संगठन इत्यादि) से संबंधित हैं, उन्हें केवल केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त कार्यवाही से ही संशोधित किया जा सकता है।
   - इस प्रकार के प्रावधानों के लिए संसद के विशेष बहुमत (Speical Majority) से संशोधन की आवश्यकता होती है और कम-से-कम आधे राज्यों की विधान सभाओं का अनुमोदन भी आवश्यक होता है।
5. **न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकार** (Independent and Impartial Authority of the Judiciary)
   - एक संघीय राष्ट्र में, संघीय व्यवस्था के अस्तित्व के लिए संविधान की विधिक सर्वोच्चता आवश्यक है। शक्तियों का विभाजन न केवल सरकार की विभिन्न शाखाओं के मध्य होना आवश्यक है, अपितु इसे संघीय सरकार और राज्यों के बीच भी बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है।
   - इस प्रकार, भारतीय संविधान दो उद्देश्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है ताकि:
     - (i) न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति का प्रयोग करके संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा की जा सके।
     - (ii) केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के मध्य विवादों का समाधान संभव हो सके।
   - न्यायपालिका को सरकार से तटस्थ बनाने के लिए संविधान में, न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें आदि जैसे विभिन्न उपाय शामिल किए गए हैं।
6. **द्विसदनीयता** (Bicameralism)
   - संविधान एक उच्च सदन (राज्य सभा) और एक निम्न सदन (लोक सभा) से मिलकर एक द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान करता है।

- राज्य सभा भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोक सभा भारत की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य सभा केंद्र सरकार के अनुचित हस्तक्षेप के विरुद्ध राज्यों के हितों की रक्षा करके संघीय संतुलन बनाए रखती है।

7. **विशेष प्रावधान** (Special Provisions): संविधान में कुछ राज्यों के लिए उनकी सामाजिक व ऐतिहासिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। अधिकांश विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी राज्यों (असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम आदि) से संबंधित हैं। ऐसा मुख्य रूप से उनके विशिष्ट इतिहास और संस्कृति के साथ एक बड़ी स्वदेशी जनजातीय आबादी के कारण किया गया है, क्योंकि वे इसे बनाए रखना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों और आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा सिक्किम जैसे कुछ अन्य राज्यों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

1.4 भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएँ (Unitary Features of Indian Constitution)

एकात्मक प्रणाली, शासन की वह प्रणाली है, जिसमें सभी शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं। साथ ही, क्षेत्रीय सरकारें, यदि अस्तित्व में हैं, तो वे राष्ट्रीय सरकार से अपना प्राधिकार प्राप्त करतीं हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन, फ्रांँस, जापान, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन आदि।

हमारा संविधान एक संघात्मक प्रणाली के लिए आवश्यक विशेषताओं का प्रावधान करता है। यह अन्य विशिष्ट संघीय प्रणालियों से भिन्न है, क्योंकि इसमें एकात्मक प्रणाली की विशेषताएँ शामिल हैं। ये विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

1. **एकल संविधान** (Single Constitution)
   - सामान्यत: संघ (Federation) में, राज्यों को संघ से अलग अपना स्वयं का संविधान बनाने का अधिकार होता है।
   - भारत का संविधान केंद्र और राज्यों दोनों के लिए 'एकल संविधान' का प्रावधान करता है। केंद्र और राज्यों दोनों को इसी ढाँचे के अंतर्गत कार्य करना होता है।

2. **एकल नागरिकता** (Single Citizenship)
   - संघीय व्यवस्था में एक व्यक्ति राज्य का नागरिक होने के साथ-साथ संघ का भी नागरिक होता है। इस प्रकार वह दो सरकारों से संबद्ध होता है और दोनों के प्रति निष्ठा रखता है।
   - भारत का संविधान दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) की व्यवस्था नहीं करता है। यह कनाडा के संविधान की भाँति एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। अन्य संघीय राज्यों, जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता है, अर्थात् यहाँ पर राष्ट्रीय नागरिकता के साथ-साथ राज्य की नागरिकता का भी प्रावधान है।

3. **राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व** (No Equality of State Representation)
   - भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है। राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर राज्य सभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। अत: सदस्यता 1 से 31 तक भिन्न-भिन्न होती है।
   - वहीं, दूसरी ओर अमेरिका में उच्च सदन में राज्यों के प्रतिनिधित्व की समानता के सिद्धांत को पूरी तरह मान्यता प्राप्त है।
   - राज्य सभा की ऐसी संरचना को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हमारे संविधान में, छोटे राज्यों के हितों पर बड़े या अधिक आबादी वाले राज्यों द्वारा अतिक्रमण (Override) किए जाने के विरुद्ध संघीय सुरक्षा अनुपस्थित है।

4. **एकीकृत न्यायपालिका - न्यायालयों की दोहरी प्रणाली का अभाव** (Integrated Judiciary – No Dual System of Courts)
   - संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे संघीय देश में न्यायपालिका, संघीय और राज्य सरकारों के बीच विभाजित है। संघीय संविधान एवं संघीय कानूनों से जुड़े हुए मामले संघीय न्यायालयों द्वारा देखे जाते हैं, जबकि राज्य न्यायालय, राज्य संविधान और राज्य कानूनों से जुड़े हुए मामलों पर विचार करते हैं।
   - भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संघ एवं राज्य दोनों कानूनों को लागू करते हैं।

5. **लोक सेवाओं का विभाजन न होना** (No Division of Public Services)
   - संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय और राज्य सरकारों के पास अपने संबंधित कानूनों और कार्यों को संचालित करने के लिए स्वयं के अधिकारी हैं। भारत के मामले में भी केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों की अलग-अलग लोक सेवाएँ हैं।

- इसके अलावा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएँ (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा) हैं, जो केंद्र एवं राज्यों, दोनों के लिए ही समान हैं।
- संघ (Union) द्वारा नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य या तो किसी केंद्रीय विभाग अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन नियुक्त किए जा सकते हैं।
- किसी राज्य की सेवा करते हुए भी अखिल भारतीय सेवा के सदस्य को केवल केंद्र द्वारा बर्ख़ास्त या हटाया जा सकता है। भले ही राज्य सरकार उस उद्देश्य के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए सक्षम हो।

6. **राज्यों का अनश्वर न होना** (States are not Indestructible)
   - अन्य संघों के विपरीत, भारत में राज्यों को क्षेत्रीय अखंडता का कोई अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद जब चाहे तब विधि द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है।
   - ऐसा करने के लिए संसद को केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए विशेष बहुमत आवश्यक नहीं है। अत: भारतीय संघ "नश्वर राज्यों का एक अनश्वर संघ" है।
   - दूसरी ओर, अमेरिकी संघ को "अनश्वर राज्यों का एक अनश्वर संघ" के रूप में वर्णित किया गया है।
7. **सामान्य काल में संघ का नियंत्रण** (Union Control in Normal Times)
   - भारत में राज्यों को सीमित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यहाँ तक कि राज्यसूची के विषय पर भी राज्यों को आत्यंतिक शक्ति (Absolute Power) प्राप्त नही हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्य सभा राष्ट्रीय हित में विशेष बहुमत से संकल्प पारित करती है, तो संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
   - इसका अर्थ यह है कि संसद की विधायी क्षमता (Legislative Competence) को संविधान में संशोधन किए बिना ही बढ़ाया जा सकता है। ध्यातव्य है कि ऐसा आपातकाल लागू किए बिना ही किया जा सकता है।
8. **आपातकालीन प्रावधानों में संघ का नियंत्रण** (Union Control in Emergency Provisions)
   - भारतीय संविधान तीन प्रकार के आपात- राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय का प्रावधान करता है।
   - आपातकाल के दौरान राज्य/राज्यों के विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्रों का नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। जबकि सामान्य परिस्थितियों में इन क्षेत्रों का नियंत्रण राज्य सरकार/सरकारें स्वयं करती हैं।
9. **केंद्र के पक्ष में शक्तियों का झुकाव** (Strong Centre Bias)
   - एक संघीय प्रणाली में शक्तियों का विभाजन संघ एवं राज्यों के मध्य होता है, किंतु भारत में यह स्थिति थोड़ी भिन्न है। संविधान में शक्तियों के वितरण में केंद्र के पक्ष में अधिक झुकाव है। अत: संघीय दृष्टिकोण से यह वितरण अत्यधिक असमान है। उदाहरण के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में शामिल किया गया है।
   - समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच मतभेद की स्थिति में केंद्र का कानून अभिभावी होता है। अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं, जबकि अमेरिका में ये अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त हैं।
10. **राज्यपाल की स्थिति** (Position of Governor)
    - राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। केंद्र सरकार उसके माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण रखती है, जैसे- राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को आरक्षित करना इत्यादि। भारत ने कनाडा की भाँति 'राज्यपाल की मनोनीत प्रणाली' (Nominated System of governor) को अपनाया, जबकि अमेरिकी प्रणाली में 'राज्य के निर्वाचित प्रमुख' का प्रावधान है।
11. **लचीला संविधान** (Flexible Constitution)
    - भारतीय संविधान में संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। राज्यों द्वारा संविधान के संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य, संविधान में संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों को साधारण या विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। अत: भारतीय संघ में केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं।

1.5 भारतीय संघवाद से संबंधित मुद्दे (Issues with Indian Federalism)

अंतर-राज्यीय विवाद (Interstate Conflicts): भारत में राज्यों के बीच कई प्रकार के आपसी विवाद हैं। इनमें से एक प्रकार का विवाद सीमा संबंधी है। भारत में कई राज्यों के अपने पड़ोसी राज्यों से संबंधित क्षेत्रों पर कुछ दावे हैं, जैसे- बेलगाम शहर को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद भारत के राज्यों के बीच सीमा विवादों का एक प्रमुख उदाहरण है। अन्य प्रकार का विवाद अंतर-राज्यीय जल विवाद (Interstate water dispute) है, जैसे-

तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद भारत में जल विवाद का एक उदाहरण है।

नए राज्यों की माँग (Demands for New States): वर्ष 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इससे भाषायी राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यह प्रक्रिया अब भी जारी है। विदर्भ (महाराष्ट्र में) जैसे कुछ क्षेत्र और भाषायी समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

राज्यपाल का पद (Office of the Governor): राज्यों और केंद्र के बीच राज्यपाल की भूमिका सदैव एक विवादास्पद विषय रही है। राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अतः राज्यपाल के कार्यों को प्रायः राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में केंद्र के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।

शक्तियों का विभाजन (Division of Powers): भारत में संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों, अर्थात् संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत शक्ति का वितरण किया गया है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की शक्तियों का उल्लेख क्रमशः संघ सूची और राज्य सूची में विशेष रूप से किया गया है। कुछ विषय, जिन पर केंद्र व राज्यों दोनों समान रूप से कानून बना सकते हैं, उन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में वर्णित शक्तियों का उपयोग केंद्र एवं राज्य, दोनों सरकारों द्वारा किया जाता है। संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई हैं। समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून पर विवाद की स्थिति में, केंद्र का कानून राज्य के कानून पर अभिभावी होता है।

स्वायत्तता की माँगें (Demands for Autonomy): कई राज्यों, यहाँ तक कि कई राजनीतिक दलों ने भी समय-समय पर माँग की है कि राज्यों को और अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए। एक अन्य माँग यह है कि राज्यों के पास स्वतंत्र 'राजस्व के स्रोत' होने चाहिए और संसाधनों पर उनका अधिक नियंत्रण होना चाहिए। स्वायत्तता की माँगों का दूसरा पहलू राज्यों की प्रशासनिक शक्तियों से संबंधित है।

1.6 भारतीय संविधान की अर्ध-संघात्मक प्रकृति (Quasi Federal Nature of Indian Constitution)

भारतीय संविधान को 'अर्ध-संघीय' कहा जाता है, क्योंकि यह एकात्मक झुकाव के साथ संघीय विशेषता का मिश्रण है। कुछ उदाहरण, जो भारत को एक अर्ध-संघीय प्रणाली के रूप में दर्शाते हैं, निम्नलिखित हैं:

1. शक्तियों के विभाजन के संबंध में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
2. संसद राष्ट्रीय हित के आधार पर राज्यों द्वारा पारित कानूनों को अधिभावी (Override) कर सकती है।
3. अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं।
4. कराधान की प्रमुख शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं।
5. राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है।
6. नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है, जो कि संघीय सरकार की वास्तविक विशेषता नहीं है।

भारतीय संविधान न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और न ही विशुद्ध रूप से एकात्मक, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है। परिस्थितियों के आधार पर इसकी प्रकृति में परिवर्तन के साथ संघीय चरित्र बदल जाता है। प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को "सहकारी संघवाद" (Cooperative Federalism) कहा है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण मुख्य रूप से एक बड़े देश में शासन व्यवस्था के संचालन की सुविधा के लिए किया गया था। यही कारण है कि इसमें केंद्रीकरण की कई विशेषताएँ भी सम्मिलित हैं। गंगा राम मूलचंदानी बनाम राजस्थान राज्य वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान का स्वरूप मूल रूप से संघीय है, जो कि संघीय प्रणाली की पारंपरिक विशेषताओं, अर्थात् संविधान की सर्वोच्चता, संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता द्वारा चिह्नित है।

1.7 संघीय प्रणाली: आलोचनात्मक विश्लेषण (Federal System: A Critical Analysis)

1. भारत के संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएँ मौजूद हैं। यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी पारंपरिक संघीय प्रणालियों से विचलन (Deviation) प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसने संघ (Union) को अधिक शक्तिशाली बनाते हुए बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर-संघीय विशेषताओं को सम्मिलित किया है।
2. संविधान विशेषज्ञ प्रो. के.सी. व्हेयर ने कहा कि भारतीय संविधान में प्रावधानों के अनुसार- "सरकार की प्रणाली अर्ध-संघात्मक है, अर्थात् यह सहायक एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य होने के बजाय सहायक संघीय विशेषताओं

वाला एकात्मक राज्य है (A unitary state with subsidiary federal features rather than a federal state with subsidiary unitary features)।"

3. यद्यपि, अन्य राजनीति शास्त्री भी हैं, जो उपर्युक्त विवरण से सहमत नहीं हैं। भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप के प्रति विभिन्न राजनीतिक शास्त्रियों के विचार इस प्रकार हैं:
   - पॉल एप्पलबी ने भारतीय प्रणाली को "अत्यंत संघीय (Extremely federal)" के रूप में वर्णित किया है।
   - मॉरिस जोंस ने भारतीय संविधान को "मोलभाव वाला संघवाद (Bargaining federalism)" कहा है।
   - आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को "मज़बूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ" के रूप में वर्णित किया है। इनके अनुसार, "भारतीय संविधान मुख्य रूप से राष्ट्रीय एकता और विकास को लागू करने के लिए अद्वितीय सुरक्षा उपायों के साथ संघीय है"।
   - अलेक्ज़ेंड्रोविच ने इस विचार का विरोध किया कि भारतीय संघ 'अर्ध-संघ (Quasi-federation)' है। उन्होंने कहा कि भारतीय संघ एक प्रकार से सुई जेनेरिस (Sui Generis), अर्थात् चरित्र में अद्वितीय है।
   - ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को "सहकारी संघवाद" कहा है। उन्होंने कहा कि यद्यपि भारत के संविधान ने एक सशक्त केंद्र का प्रावधान किया है तथापि इसने राज्य सरकारों को कमज़ोर नहीं बनाया और उन्हें केवल केंद्र सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक इकाइयों के स्तर तक सीमित नहीं रखा है। उन्होंने भारतीय संघ को "भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नए प्रकार के संघ" के रूप में वर्णित किया।

4. डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, भारतीय संविधान के संघीय चरित्र के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है:
   - भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, क्योंकि यह दोहरी राजव्यवस्था (Dual Polity) स्थापित करता है। संघ उन राज्यों का संघ नहीं है, जो एक औपचारिकता मात्र के लिए एकजुट हुए हों। राज्य, संघ की एजेंसियाँ भी नहीं हैं, जो इससे शक्तियाँ प्राप्त करती हैं। संघ और राज्य दोनों ही संविधान द्वारा बनाए गए हैं, अर्थात् दोनों संविधान से अपने-अपने अधिकार प्राप्त करते हैं।
   - फिर भी संविधान में संघवाद का सख़्त ढाँचा नहीं है और समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों हो सकता है।
   - संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों का विभाजन केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं संविधान द्वारा किया जाता है।
   - राज्य किसी भी प्रकार से अपने विधायी या कार्यकारी प्राधिकार (Legislative or executive authority) के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं हैं। इस मामले में राज्य और केंद्र समान हैं। अतः यह समझना कठिन है कि ऐसे संविधान को केंद्रीय प्रवृत्ति (Centralism) वाला कैसे कहा जा सकता है? यह कहना उचित नहीं है कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है। केंद्र अपनी इच्छा से इन शक्तियों के बँटवारे की सीमा नहीं बदल सकता और न ही न्यायपालिका ऐसा कर सकती है।

5. सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले (1994) में यह भी माना है कि 'संघवाद' भारतीय संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।

6. हमारे संविधान की संघीय भावना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविक कार्यप्रणाली में निम्नलिखित तरीक़ों से परिलक्षित होती है:
   - संघ स्तर पर सरकार के गठन में क्षेत्रीय और राज्यीय दलों का महत्त्व लगातार बढ़ता जा रहा है।
   - राज्यों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र से अधिक वित्तीय अनुदान (Financial grant) की माँग की जाती है।
   - राज्यों द्वारा स्वायत्तता (Autonomy) का दावा और केंद्र के हस्तक्षेप के प्रति उनका प्रतिरोध जारी रहता है।
   - राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद की स्थिति बनी हुई है; उदाहरण के लिए, बेलगाम को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद।
   - नदी जल के बँटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद चर्चा में रहता है, उदाहरण के लिए, कावेरी जल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद।
   - आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय और उनका सत्ता में आना संघीय भावना को प्रदर्शित करता है।
   - क्षेत्रीय आकांक्षाओं (Regional aspirations) को पूरा करने के लिए नए राज्यों का निर्माण, उदाहरण के लिए, मिज़ोरम या हाल ही में झारखंड का अस्तित्व में आना संघीय भावना को दर्शाता है।
   - केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 (राज्यों में राष्ट्रपति शासन) के उपयोग पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई प्रक्रियागत सीमाएँ (Procedural limitations) लगाई गई हैं।

7. वास्तव में, दो सरकारों- संघीय और राज्यों, की पारस्परिक स्वतंत्रता के पारंपरिक सिद्धांत ने आज अधिकांश संघीय देशों में सहकारी संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया है।
 - भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान संघीय सहयोग की प्रणाली करों के आवंटन और संग्रहण के माध्यम से, या प्रत्यक्ष अनुदान या संघ द्वारा योजनागत धन का आवंटन, अनिवार्य रूप से संघवाद की अवधारणा के विरुद्ध नहीं है। यही कारण है कि ग्रेनविले ऑस्टिन भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहना पसंद करते हैं। उनके अनुसार, भारतीय संविधान एक मज़बूत केंद्र सरकार का निर्माण करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत में राज्य सरकारें कमज़ोर हैं।
 - वास्तव में, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रत्यक्षत: दो परस्पर विरोधी विचारों के बीच एक समझौता है:
   (i) शक्तियों का सामान्य विभाजन, जिसके अंतर्गत राज्यों को अपने-अपने क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त है और
   (ii) असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना।

राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ
(STATE OF RAJASTHAN VS UNION OF INDIA)

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एच. बेग ने कहा है कि एक अर्थ में भारतीय संघ, संघात्मक है। लेकिन, संघवाद की सीमा काफ़ी हद तक किसी देश की प्रगति और विकास की आवश्यकताओं से प्रभावित होती है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समन्वित तथा सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत किया जाना है।

ऐसी व्यवस्था में राज्य, केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित योजनाबद्ध विकास (Planned development) के रास्ते में बाधक नहीं हो सकते हैं।

संविधान की संघीय विशेषताएँ	संविधान की एकात्मक विशेषताएँ
दोहरी सरकार (केंद्र एवं राज्य स्तर पर)	केंद्र व राज्य दोनों के लिए एकल संविधान
संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण	एकल नागरिकता
संविधान की सर्वोच्चता	राज्य सभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में असमानता
न्यायालयों का प्राधिकार तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता	एकीकृत न्यायपालिका-न्यायालयों की दोहरी प्रणाली का न होना
कठोर संविधान	लोक सेवाओं का विभाजन न होना
द्विसदनीय व्यवस्था, जिसमें एक उच्च सदन और एक निचला सदन शामिल है	राज्यों का अनश्वर न होना

■■■■

अध्याय

2

केंद्र-राज्य संबंध

(Centre-State Relations)

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत की राजव्यवस्था संघीय (Federal) है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। हालाँकि, इसमें कई एकात्मक (Unitary) विशेषताएँ भी हैं। इसलिए अनेक विशेषज्ञों ने भी भारतीय संविधान को अर्ध-संघीय (Quasi-federal) कहा है। संघ और राज्य दोनों ही संविधान से अपनी शक्तियाँ/प्राधिकार प्राप्त करते हैं। संविधान ही उनके बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय सभी शक्तियों का विभाजन करता है। राज्य संघ के प्रतिनिधि नहीं हैं और वे संविधान द्वारा निर्धारित उनके स्वयं के क्षेत्रों में स्वायत्त हैं। संघ और राज्य, दोनों समान रूप से संविधान द्वारा लागू प्रतिबंधों के अधीन हैं। यदि किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित विधायिका के कानून को न्यायालयों द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है।

केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित मंज़ूरी अनुच्छेद
(ARTICLES RELATED TO CENTRE-STATE RELATIONS)

अनुच्छेद 245: संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार क्षेत्र।

अनुच्छेद 246: संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तु।

अनुच्छेद 247: कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 248: विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियाँ।

अनुच्छेद 249: राज्य सूची के विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 250: यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 251: संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति।

अनुच्छेद 252: दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना।

अनुच्छेद 253: अंतर्राष्ट्रीय समझौतों/करारों को प्रभावी करने के लिए विधान।

अनुच्छेद 254: संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति।

केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित मंज़ूरी अनुच्छेद
(ARTICLES RELATED TO CENTRE-STATE RELATIONS)

अनुच्छेद 255: अनुशंसाओं और पूर्व मंज़ूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना।

अनुच्छेद 256: राज्यों और संघ की बाध्यता।

अनुच्छेद 257: कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण।

अनुच्छेद 258: कुछ दशाओं में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति।

अनुच्छेद 258A: संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति।

अनुच्छेद 259: निरस्त।

अनुच्छेद 261: सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ।

अनुच्छेद 262: अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय-निर्णयन।

अनुच्छेद 263: एक अंतर-राज्यीय परिषद् के संबंध में उपबंध।

अनुच्छेद 246A: वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध।

2.2 केंद्र-राज्य संबंधों का इतिहास (History of Centre-State Relations)

भारत की वर्तमान संघीय व्यवस्था की जड़ें वर्ष 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियमों (Government of India Acts) में निहित हैं। वर्ष 1928 के नेहरू प्रतिवेदन में भी परिकल्पना की गई थी कि भारत का संविधान संघीय होना चाहिए। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण भारत शासन अधिनियम, 1935 में प्रदान की गई योजना पर आधारित है।

केंद्र-राज्य संबंधों की संवैधानिक योजना (Constitutional Scheme of Centre-State Relations)

संवैधानिक योजना को मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. विधायी संबंध (अनुच्छेद 245-255)
2. प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256-263)
3. वित्तीय संबंध और नियोजन (अनुच्छेद 268-293)

2.3 विधायी संबंध (Legislative Relations)

भारत का संविधान संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। यह एक सुदृढ़ और अविनाशी (Strong and Indestructible Union) संघ की स्थापना का प्रावधान करता है। इसमें विधायी शक्तियों के वितरण की एक योजना शामिल है। यह योजना देश की विविधता को बनाए रखने के लिए एक साझे राष्ट्रीय प्रयास की प्रेरणा से निर्मित की गई है। संविधान के भाग-XI में अनुच्छेद 245 से 255, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित हैं। इनके अतिरिक्त, कुछ अन्य अनुच्छेद भी इसी विषय से संबंधित हैं। संविधान पाँच असाधारण स्थितियों में किसी राज्य में केंद्र सरकार द्वारा निर्मित संसदीय कानून के प्रभावी होने का प्रावधान करता है। संविधान कुछ मामलों में राज्य विधान पर केंद्र के नियंत्रण का भी प्रावधान करता है। इन पर नीचे चर्चा की गई है:

केंद्रीय और राज्यीय विधान का क्षेत्रीय विस्तार (Territorial Extent of Central and State Legislation)

संसद के पास 'भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से' के लिए विधि निर्माण की शक्ति है। भारत के राज्यक्षेत्र में राज्य, संघ राज्यक्षेत्र और वर्तमान के लिए भारत के क्षेत्र में सम्मिलित कोई अन्य क्षेत्र शामिल हैं। संसद के पास 'क्षेत्रातीत विधान' (Extra territorial legislation) बनाने की शक्ति भी है, जो किसी राज्य के विधानमंडल के पास नहीं है। इसका अर्थ यह है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून न केवल भारत के राज्यक्षेत्र के अंदर व्यक्तियों और उनकी संपत्ति को, बल्कि विश्व में कहीं भी भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति को भी शासित करेंगे।

हालाँकि, क्षेत्रीय न्याय-क्षेत्र के मामले में संविधान संसद पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। उदाहरण के लिए, निर्दिष्ट क्षेत्रों (जैसे- अनुसूचित क्षेत्रों, कुछ संघ राज्यक्षेत्रों आदि) के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं, जहाँ सामान्य कानूनों को विवेकहीन तरीक़े से लागू करने के अवांछित या अन्य हानिकारक परिणाम हो सकते हैं।

राज्य विधानमंडल केवल राज्यक्षेत्र के अंदर अपनी क्षमता के अधीन किसी विषय से संबंधित कानून बना सकता है। यह पूरे राज्य या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है [अनुच्छेद 245(1)]। राज्य विधानमंडल के लिए किसी भी परिस्थिति में अपनी अधिकारिता का विस्तार करना संभव नहीं है, सिवाय इसके कि जब राज्य की सीमाएँ स्वयं संसद के एक अधिनियम द्वारा विस्तारित की जाएँ।

विधायी विषयों का वितरण (Distribution of Legislative Subjects)

संविधान भारत शासन अधिनियम, 1935 से संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के त्रि-स्तरीय वितरण (Three fold distribution) की व्यवस्था को अपनाता है। यह वितरण संविधान की अनुसूची VII में तीन विधायी सूचियों के तहत किया गया है [अनुच्छेद 246]।

1. सूची-I या संघ सूची (Union List) में 100 विषय शामिल हैं। संघ के पास इन विषयों पर विधि निर्माण की विशेष शक्ति होगी। इनमें रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय महत्त्व के मामले और जिन मामलों में पूरे देश में विधि की एकरूपता (Uniformity of Legislation) आवश्यक होती है, उन्हें संघ सूची में शामिल किया गया है।
2. सूची-II या राज्य सूची (State list) में 61 विषय या प्रविष्टियाँ शामिल हैं। 'सामान्य परिस्थितियों में' इन विषयों पर विधि निर्माण की विशेष शक्ति राज्य विधानमंडल के पास होगी। उदाहरण- सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस, स्थानीय शासन आदि। क्षेत्रीय और स्थानीय महत्त्व के मामले और ऐसे मामले, जो हितों की विविधता की अनुमति देते हैं, राज्य सूची में निर्दिष्ट किए गए हैं।
3. सूची-III या समवर्ती सूची (Concurrent List) में 52 विषय शामिल हैं। इन पर विधि निर्माण की समवर्ती शक्ति संघ और राज्य विधान सभाओं के पास है। जैसे कि आपराधिक कानून और प्रक्रिया, नागरिक प्रक्रिया, विवाह, अनुबंध आदि। ऐसे मामले, जिन पर पूरे देश में विधि की एकरूपता वांछनीय है, लेकिन आवश्यक नहीं, समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किए गए हैं। इस प्रकार, यह सूची एकरूपता के साथ विविधता की अनुमति देती है। हालाँकि, समवर्ती क्षेत्र में एक ही विषय से संबंधित संघ और राज्य के कानूनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संघ का कानून अभिभावी होता है। हालाँकि, यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखा गया था और उसे ऐसी स्वीकृति प्राप्त हो गई थी, तो गतिरोध के बावजूद राज्य का कानून अभिभावी हो सकता है। हालाँकि, संसद अभी भी सक्षम होगी, कि वह एक नया कानून बनाकर राज्य के कानून को प्रत्यादिष्ट (Override) कर सके।
4. तीन सूचियों के बीच किसी मामले पर टकराव होने की स्थिति में संघीय विधानमंडल (संसद) द्वारा पारित कानून को प्रधानता दी गई है। इस प्रकार, राज्य सूची में शामिल मामलों के संबंध में विधि निर्माण की राज्य विधानमंडल की शक्ति को संघ और समवर्ती सूचियों में उल्लिखित मामलों के संबंध में विधि निर्माण की संसद की शक्ति के अधीन रखा गया है। इसलिए राज्य सूची में शामिल प्रविष्टियों की तदनुसार व्याख्या की जानी चाहिए।।
5. संविधान विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्ति (Residuary Power) संसद में निहित करता है [अनुच्छेद 248]। अवशिष्ट शक्ति से तात्पर्य, तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति से है।

राज्य के विषयों पर संसदीय विधान
(Parliamentary Legislation on State Subjects)

ऊपर वर्णित सूचियों में विषयों का वितरण सामान्य परिस्थितियों में विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। हालाँकि, कुछ असाधारण परिस्थितियाँ हैं, जिनके तहत वितरण की उपर्युक्त व्यवस्था को या तो निलंबित कर दिया जाता है या राज्य के विषयों पर संघीय संसद की शक्तियों को अधिक महत्त्व दिया जाता है। ये असामान्य या असाधारण परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं:

1. **जब राज्य सभा राष्ट्रीय हित में एक प्रस्ताव पारित करती है** (When Rajya Sabha Passes a Resolution in National Interest): संसद को अस्थायी अवधि के लिए राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति होगी। हालाँकि, यह तभी संभव होगा, जब राज्यों की परिषद् (राज्य सभा) उपस्थित और मतदान करने वाले अपने 2/3 सदस्यों के एक प्रस्ताव द्वारा ऐसी घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है कि संसद को ऐसे विषयों पर कानून बनाना चाहिए। ऐसा प्रत्येक प्रस्ताव एक वर्ष के लिए मान्य होगा। राज्य सभा के प्रस्ताव को एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। यह अधिनियमित कानून प्रस्ताव की समाप्ति के बाद अधिकतम छह महीने तक प्रभावी रहेगा। ऐसी स्थिति में राज्यों के पास भी उस विषय पर विधि निर्माण की शक्ति है, लेकिन यदि संघ और राज्य के कानूनों के बीच कोई गतिरोध होता है, तो संघ का कानून ही मान्य होगा।
2. **राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान** (During a National Emergency): जब राष्ट्रपति द्वारा की गई 'आपातकाल' की उद्घोषणा लागू है, तो संसद के पास राज्य के विषयों के संबंध में विधि निर्माण की समान शक्ति होगी। संसद द्वारा बनाया गया कानून, उद्घोषणा के समाप्त होने के छह महीने की अवधि के बाद लागू नहीं होगा। इस मामले में भी राज्य विधायिका इस विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन केंद्रीय कानून के साथ किसी भी तरह की असंगति के परिणामस्वरूप केंद्रीय कानून ही अभिभावी होगा।
3. **जब राज्य अनुरोध करते हैं** (When States Make a Request): यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर संसद से विधि निर्माण का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित करते हैं, तो संसद के पास केवल उन राज्यों के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति होगी। यह राज्य विधान सभाओं की सहमति से संसद के क्षेत्राधिकार का विस्तार है। कोई अन्य राज्य भी अपने विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करके स्वयं के संबंध में संघीय विधान को अपना सकता है।

   हालाँकि, राज्य विधानमंडल इस प्रक्रिया को रद्द नहीं कर सकता या पलट नहीं सकता है। संसद द्वारा राज्यों के अनुरोध पर बनाए गए कानून को संसद द्वारा ही निरस्त एवं संशोधित किया जा सकता है। इसलिए, ऐसा प्रस्ताव उक्त विषय पर राज्य विधानमंडल की शक्ति के आत्म-समर्पण के रूप में कार्य करता है और इसे पूरी तरह से संसद को सौंप दिया जाता है, जो अकेले इस संबंध में कानून बना सकती है। उपर्युक्त प्रावधान के अंतर्गत पारित कानूनों के कुछ उदाहरण जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 आदि हैं।
4. **अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का क्रियान्वयन** (Implementation of International Agreements): संसद के पास संधियों या अंतर्राष्ट्रीय करारों और अभिसमयों को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर विधि निर्माण की संप्रभु शक्ति है। शक्तियों का सामान्य वितरण संसद को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति के लिए विधि निर्माण हेतु बाधित नहीं करेगा, भले ही ऐसा कानून राज्य सूची के विषय से संबंधित हो [अनुच्छेद 253]। उपर्युक्त प्रावधान के तहत अधिनियमित कानूनों के कुछ उदाहरण संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 और जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम, 1960 आदि हैं।
5. **राष्ट्रपति शासन के दौरान** (During President's Rule): जब एक राज्यपाल किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता (Failure of Constitutional System) की पुष्टि करता है, तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा कर सकता है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो किसी राज्य की विधायिका की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के तहत प्रयोग की जा सकती हैं। इसलिए, संसद उस राज्य के संबंध में राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण के लिए सशक्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भी संसद द्वारा बनाया गया कानून अभिभावी रहता है। हालाँकि, इस तरह के कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त या संशोधित किया जा सकता है।

राज्य के विधान पर केंद्र का नियंत्रण
(Centre's Control Over State Legislation)

असाधारण परिस्थितियों में राज्य के विषयों पर सीधे विधि निर्माण की संसद की शक्ति के अलावा, संविधान केंद्र को निम्नलिखित तरीक़ों से राज्य की विधायी शक्तियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है:

1. **राष्ट्रपति की मंज़ूरी** (President's Sanction): राज्य विधानमंडल में कुछ मामलों पर विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंज़ूरी (Previous Sanction) की आवश्यकता होती है, जो राज्य सूची में सूचीबद्ध हैं। अनुच्छेद 304 के अनुसार, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व मंज़ूरी से ही राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।